

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ 1(4) आ.प्र.एवं सहा/सामान्य/2017/12930-49 जयपुर, दिनांक 16.11.2017

अधिसूचना

वर्षा की कमी, सतही जल और भू जल उपलब्धता में कमी, फसलों की कमजोर स्थिति एवं रिमोट सैन्सिंग आदि को ध्यान में रखते हुए खरीफ सम्वत् 2074 में सूखे के कारण अभाव से प्रभावित क्षेत्रों का आंकलन कर जिला कलक्टरों से प्राप्त गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के 13 जिलों के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, गम्भीर सूखाग्रस्त (Severe category drought affected) घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 6 माह तक लागू रहेंगे:-

क्र.सं.	जिला	तहसील	प्रस्तावित प्रभावित गांवों की संख्या
1.	बाड़मेर	10	1717
2.	भीलवाड़ा	3	191
3.	बीकानेर	3	52
4.	चूरू	3	174
5.	डूंगरपुर	1	106
6.	श्री गंगानगर	1	25
7.	हनुमानगढ़	3	141
8.	जयपुर	3	328
9.	जैसलमेर	4	645
10.	झुंझुनु	2	131
11.	जोधपुर	2	193
12.	नागौर	1	24
13.	सवाई माधोपुर	5	424
	कुल योग:-	41	4151

राज्यपाल की आज्ञा से,



(हिमन्त कुमार गेरा)

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
2. विशिष्ट सहायक, आ.प्र. एवं सहायता मंत्री
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी मन्त्री राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, जल संसाधन/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
12. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
13. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
14. संभागीय आयुक्त, अजमेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, राज.।
15. जिला कलेक्टर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरु, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनु, जोधपुर, नागौर एवं सवाई माधोपुर, राजस्थान।
16. निदेशक जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
17. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
18. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
19. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
20. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।

  
उप शासन सचिव